

रिपोर्ट पटवारी हल्का - चांद जी की खेड़ी

महोदयजी निवेदन है की प्राची का ग्राम भोपी की रीट की जमावड़ी के खाता सं. 31 में लक्ष्मण पुत्र लालू है जो की गलती जमाकी इनका सही नाम आचार्य कांड व लक्ष्मण कल्याण में लक्ष्मण लाल पुत्र लालूराम है। आंच प्राची का नाम सही कराने का आदेश सं १५/१० रिपोर्ट/म.अ.निरीक्षक वृत्त सलावरीया

महोदयजी निवेदन है की रिपोर्ट पटवारी व अन्य प्रस्ताविका का आचार्य पुत्र प्राची का नाम ग्राम भोपी की रीट की जमावड़ी की खाता सं. 31 में लक्ष्मण पुत्र लालू के स्थान पर लक्ष्मण लाल लालूराम सही कराने का आदेश सं १५/१० रिपोर्ट तहसीलदार, विजापुर

महोदयजी, निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का - चांद जी की खेड़ी, आंच म.अ.नि. सलावरीया व संलग्न प्रस्ताविका अनुसार ग्राम - भोपी की रीट जमावड़ी संवत् 2076-2079 का खाता सं. 31 में लक्ष्मण पुत्र लालू के स्थान पर लक्ष्मण लाल पुत्र लालूराम दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है।

आदेश

तहसीलदार  
केस्य सलावरीया  
तहसील विजापुर जिला भीलवाडा

प्राची स्वयं के प्रार्थना पर, संलग्न म.अ.नि. सलावरीया तहसीलदार पर प्राची का नाम संलग्न रिपोर्ट लक्ष्मण लाल पुत्र लालूराम पर धरित कि जाते हैं।

प्रस्ताविका, पटवारी चांद जी खेड़ी, विजापुर की आंच रिपोर्ट के आधार में लक्ष्मण पुत्र लालू के स्थान पर करने के आदेश

उपखण्ड अधिकारी  
विजापुर



ग्रामीण सेवा शिबिर फॉलोअप रिपोर्ट

ग्रामीण सेवा शिबिर फॉलोअप रिपोर्ट  
अभियान 2025

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2025 कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान खानपुरिया

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शंका जी खेरी द्वारा  
खानपुरिया रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान नू-200  
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शोपी जी रेठ तहसील बिजौलिया जिला जयपुर  
की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 31 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि  
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	शोपी जी रेठ	31	<u>लक्ष्मण पुत्र लाल</u>	<u>लक्ष्मण लाल पुत्र लालूराम</u>



3/  
(अजीत सिंह राहॉड़)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया

08/25

दिनांक :- 17/12/25

तहसीलदार, बिजौलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद  
शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।  
प्रार्थी श्री लक्ष्मण पुत्र लालूराम को सूचनाार्थ।  
अधिन पत्रावली।



8/  
(अजीत सिंह राहॉड़)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया